भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग–I खण्ड–I)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

सार्वजनिक सूचना सं. 87 (आर0ई0–2013)/2009–2014
दिनांकः 17 फरवरी, 2015

विषयः एकल पैन के लिए विभिन्न आईईसी की वैधता रद्द करने के संबंध में।

प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी–खण्ड 1) (2009–2014) के पैरा 2.9 (ख) में एकल पैन के लिए केवल एक आईईसी का प्रावधान है। तथापि, केन्द्रीयकृत आईईसी डाटा बैंक में यह देखा गया है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरणों से कुछ फर्मों/कम्पनियों द्वारा एकल पैन के लिए विभिन्न आईईसी प्राप्त किए गए हैं। नीति और डाटा समग्रता के साथ अनुरूपता बनाए रखने के लिए इसमें सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है।

2. इसलिए, विदेश व्यापार नीति (2009–2014) के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड–1) (2009–2014) के पैरा 2.9 (ख) को निम्नानुसार संशोधित करते हैंः

"2.9 (ख): एकल पैन के लिए केवल एक आईईसी जारी किया जाएगा। एकल पैन के लिए जारी विभिन्न आईईसी 31.03.2015 के बाद स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएंगे।"

3. तद्नुसार, एकल पैन के मद्दे विभिन्न आईईसी रखने वाले सभी आयातकों/निर्यातकों के लिए कोई एक आईईसी रखने तथा सभी अन्य आईईसी को रद्द किए जाने हेतु 31.03.2015 तक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों को सौंप देने का विकल्प है।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

यदि एकल पैन के लिए विभिन्न आईईसी 31.03.2015 तक लौटाए नहीं जाते हैं तो उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

[फा0सं0 01/93/180/20/एएम–13/पीसी-2 (ख)]